VAID ICS LAW

VAID ICS LAW

VAID ICS (IAS / PCS / PCS-J) Estd - 1988

(मासिक विधिक समसामयिकी)

नवंबर, 2024

UPPCS-J/APO/OTHER JUDICIAL EXAMS

VAID ICS LAW

यूएनसीसीडी और यूरोपीय आयोग संयुक्त अनुसंधान केंद्र (जेआरसी):

चर्चा में क्यों? यूएनसीसीडी और ईयूजेआरसी ने हाल ही में विश्व सूखा एटलस 2024 प्रकाशित किया है।

यूएनसीसीडी (मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) के बारे में:

- 1994 में स्थापित यूएनसीसीडी पर्यावरण, विकास और सतत भूमि प्रबंधन को जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह **मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण** का मुकाबला करने और सूखे के प्रभावों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है, विशेष रूप से शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में।

मुख्य उद्देश्य:

- शुष्क भूमि में रहने की स्थिति में सुधार के लिए सतत भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए **राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ** विकसित करना।
- **वैश्विक सहयोग और ज्ञान साझाकरण** के माध्यम से सूखे के प्रति लचीलापन मजबूत करना।
- क्षय की भरपाई के लिए क्षरित भूमि को बहाल करके भूमि क्षरण तटस्थता (एलडीएन) प्राप्त करना।

सदस्यता:

- इसमें 197 पक्ष शामिल हैं, जो इसे भूमि से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए एक लगभग सार्वभौमिक मंच बनाता है।

पहल:

सूखा पहल: सक्रिय सूखा प्रबंधन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करती है।

ग्रेट ग्रीन वॉल पहल: अफ्रीका के क्षरित परिदृश्यों को बहाल करने का लक्ष्य रखती है।

विज्ञान-नीति इंटरफ़ेस (SPI): वैज्ञानिक अनुसंधान और नीति-निर्माण को जोड़ता है।

महत्व:

- UNCCD पर्यावरणीय कमज़ोरियों को कम करने, खाद्य और जल सुरक्षा को बढ़ाने और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।

यूरोपीय आयोग संयुक्त अनुसंधान केंद्र (JRC) के बारे में:

अवलोकन:

- संयुक्त अनुसंधान केंद्र (JRC) यूरोपीय आयोग की इन-हाउस विज्ञान और ज्ञान सेवा है। **1957 में स्थापित**, यह EU नीतियों का समर्थन करने के लिए **स्वतंत्र वैज्ञानिक सलाह** और **डेटा प्रदान** करता है।

मुख्य भूमिकाएँ:

नीति समर्थन: EU नीति प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए साक्ष्य-आधारित सिफारिशें प्रदान करता है।

वैज्ञानिक अनुसंधान: जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और **आपदा जोखिम प्रबंधन जैसे अंतःविषय क्षेत्रों** पर ध्यान केंद्रित करता है।

नवाचार: सामाजिक चुनौतियों के लिए नई पद्धतियाँ, प्रौद्योगिकियाँ और उपकरण विकसित करता है।

डेटा प्रसार: वैश्विक हितधारकों के साथ डेटासेट, रिपोर्ट और उपकरण साझा करता है।

फोकस क्षेत्र:

- **जलवायु और पर्यावरण**: जलवायु जोखिमों और समाधानों को समझना।
- **कृषि और खाद्य सुरक्षा**: खाद्य प्रणालियों और कृषि नीतियों का विश्लेषण करना।
- **आपदा जोखिम न्यूनीकरण**: प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और जोखिम आकलन विकसित करना।

अंतर्राष्ट्रीय सूखा प्रतिरोध गठबंधन (IDRA) के बारे में:

यह नवंबर **2022 में 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP27**) के दौरान दुनिया भर में सूखे की बढ़ती चुनौतियों का समाधान करने के लिए शुरू किया गया एक वैश्विक गठबंधन है।

इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और **अस्थिर भूमि और जल प्रबंधन के कारण** सूखे की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाना और लचीलापन बनाना है।

स्थापना और नेतृत्व:

IDRA की स्थापना के दौरान **स्पेन और सेनेगल** ने इसकी सह-अध्यक्षता की थी।

यह मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) के लक्ष्यों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है।

अमेरिका में क्षमादान शक्ति से जुड़े विवाद:

चर्चा में क्यों ? निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने हाल ही में अपने बेटे हंटर को क्षमादान दिया है, जिससे उसे संघीय गुंडागर्दी बंदूक और कर दोषसिद्धि के लिए संभावित जेल की सजा से बचा लिया गया है

क्षमादान शक्ति क्या है?

- क्षमादान शक्ति **अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद II, खंड 2** के तहत राष्ट्रपति को दी गई एक संवैधानिक शक्ति है।
- यह राष्ट्रपति को महाभियोग के मामलों को छोड़कर संघीय अपराधों के लिए क्षमादान और राहत देने की अनुमति देता है।

अमेरिका में क्षमादान शक्ति का ऐतिहासिक संदर्भ:

- संविधान के निर्माताओं ने **दया और न्याय के लिए एक तंत्र प्रदान** करने के लिए इस शक्ति को शामिल किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि राष्ट्रपति न्यायिक त्रुटियों को सुधार सकता है या करुणा दिखा सकता है।

- ऐतिहासिक रूप से, इसका उपयोग **राष्ट्रीय घावों को भरने के लिए** किया गया है (उदाहरण के लिए, गृह युद्ध के बाद) या क्षमादान के संकेत के रूप में (उदाहरण के लिए, **वियतनाम युद्ध के ड्राफ्ट चोरों को क्षमा** करना)।

क्षमादान शक्ति के इर्द-गिर्द विवाद:

- शक्ति के दुरुपयोग के आरोप: चिंता तब पैदा होती है जब क्षमादान राजनीतिक रूप से प्रेरित, सहयोगियों के पक्ष में या व्यक्तिगत हितों की सेवा करने वाला प्रतीत होता है।

उल्लेखनीय विवाद:

रिचर्ड निक्सन की क्षमादान (1974): वाटरगेट कांड पर निक्सन के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड द्वारा दी गई। आलोचकों ने इसे जवाबदेही को कम करने के रूप में देखा।

डोनाल्ड ट्रम्प की क्षमादान: माइकल फ्लिन और रोजर स्टोन जैसे सहयोगियों को उनकी क्षमादान की संभावित पक्षपातपूर्णता के लिए आलोचना की गई।

निगरानी का अभाव: संविधान राष्ट्रपति के क्षमादान निर्णयों पर कोई स्पष्ट जाँच प्रदान नहीं करता है, जिससे इसके दुरुपयोग के बारे में बहस होती है।

वर्तमान विवाद:

- हाल ही में हुई बहस राष्ट्रपतियों द्वारा **खुद को या सहयोगियों को जाँच** से बचाने के लिए क्षमादान का उपयोग करने के आरोपों पर केंद्रित है।
- **आलोचक दया और न्याय के शक्ति के मूल उद्देश्य** को बनाए रखते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों या विधायी सुधारों का तर्क देते हैं।

क्षमादान शक्ति के बचाव में तर्क:

- **अधिवक्ताओं का तर्क है कि यह अन्याय** को ठीक करने और असाधारण मामलों में राहत प्रदान करने के लिए एक आवश्यक उपकरण है।
- इसे न्यायिक **त्रुटियों और अत्यधिक दंड** के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जाँच के रूप में देखा जाता है।

सुधार के लिए आह्वान:

प्रस्तावों में शामिल हैं:

- क्षमादान प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता।
- क्षमादान के समय या प्राप्तकर्ताओं पर सीमाएँ लगाना, जैसे कि आत्म-क्षमा या लंगड़ा-बतख अवधि के दौरान क्षमादान को प्रतिबंधित करना।

मुख्य निष्कर्ष:

जबकि क्षमादान शक्ति अमेरिकी संवैधानिक ढांचे की आधारशिला है, इसके दुरुपयोग की संभावना ने बार-बार विवादों को जन्म दिया है। न्याय के एक उपकरण के रूप में इसकी भूमिका को दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों के साथ संतुलित करना अमेरिकी राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।

जमानत पर रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग: लाभ और चुनौतियाँ:

चर्चा में क्यों ? यह लेख जमानत पर रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रैकिंग की अवधारणा का पता लगाता है, जो भारत की जेलों में भीड़भाड़ की समस्या को दूर करने के लिए प्रस्तावित एक उपाय है।

कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग क्या है?

- इसका तात्पर्य उन व्यक्तियों के स्थान और गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, जैसे टखने के **कंगन, कलाई के बैंड** या अन्य पहनने योग्य तकनीकों के उपयोग से है, जो न्यायिक निगरानी में हैं, लेकिन जेल के भीतर सीमित नहीं हैं।

भारत में विचाराधीन कैदियों और जेलों में भीड़भाड़ की पृष्ठभूमि:

- **दिसंबर 2022 तक, भारतीय जेलों में 131.4% कैदी** हैं, जिनमें **4,36,266 की क्षमता के मुकाबले 5,73,220** कैदी हैं।
- **75.8% कैदी** विचाराधीन हैं, जो **न्याय प्रदान करने में प्रणालीगत** देरी को दर्शाता है।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी सुप्रीम कोर्ट की "**भारत में जेल**" रिपोर्ट में भीड़भाड़ को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी को लागत प्रभावी विकल्प के रूप में उजागर किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के लाभ लागत प्रभावशीलता:

- ट्रैकिंग डिवाइस (एंकल या ब्रेसलेट मॉनिटर) की लागत प्रति कैदी **₹10,000-₹15,000** है, जबकि जेलों में विचाराधीन कैदियों पर **सालाना ₹1 लाख खर्च** होते हैं। प्रशासनिक ओवरहेड में कमी, क्योंकि जमानत पर कैदियों के प्रबंधन के लिए कम कर्मियों की आवश्यकता होती है।
- **जेलों में भीड़भाड़ कम करना:** इलेक्ट्रॉनिक निगरानी को लागू करने से अधिक भीड़ वाली सुविधाओं पर दबाव कम हो सकता है, जिससे सुधारात्मक प्रथाओं के लिए बेहतर माहौल बन सकता है।
- **बेहतर न्याय वितरण:** यह सुनिश्चित करके सुरक्षा आवश्यकताओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संतुलित करने में मदद करता है कि व्यक्ति लंबे समय तक कारावास से बचते हुए जमानत की शर्तों का पालन करें।

इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग की चुनौतियाँ गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:

- निगरानी निगरानी को लागू करती है जो भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत संरक्षित गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय ने जमानत पर रिहा विदेशी नागरिकों के लिए गूगल **मैप्स-आधारित ट्रैकिंग को खारिज** कर दिया, जिसमें गोपनीयता के उल्लंघन को उजागर किया गया। कलंक और सामाजिक अलगाव: दृश्यमान डिवाइस पहनने से सामाजिक कलंक लग सकता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य और समाज में पुनः एकीकरण प्रभावित हो सकता है।

वित्तीय बोझ: जबकि भारत सरकार द्वारा **वित्तपोषित ट्रैकर्स** का प्रस्ताव करता है, अमेरिका के उदाहरणों से पता चलता है कि व्यक्ति अक्सर लागत वहन करते हैं, जिससे उनका वित्तीय तनाव बढ़ जाता है।

अतिक्रमण की संभावना: निगरानी भौतिक जेलों से परे दंडात्मक उपायों का विस्तार कर सकती है, जिससे "**ई-कारावास**" की प्रणाली बन सकती है।

सीमित प्रयोज्यता: विधि आयोग इसका उपयोग केवल गंभीर और जघन्य अपराधों के लिए करने का सुझाव देता है, जिसमें बार-बार अपराध करने वाले शामिल होते हैं, जिसके लिए विधायी परिवर्तन की आवश्यकता होती है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं से सबक :

संयुक्त राज्य अमेरिका:

- इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के व्यापक उपयोग की आलोचना समुदाय में कारागार प्रणाली का विस्तार करने के रूप में की गई है, जो हाशिए पर पड़े समूहों को असंगत रूप से प्रभावित करती है। **रिपोर्ट निगरानी, कलंक और घर के दौरे** और अनिवार्य परीक्षण के माध्यम से गोपनीयता के अत्यधिक आक्रमण के मुद्दों को उजागर करती है।

सर्वोत्तम अभ्यास:

- मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध स्पष्ट सुरक्षा उपायों के साथ सहमति-आधारित ट्रैकिंग।
- दुरुपयोग को रोकने के लिए नीति पारदर्शिता और न्यायिक निगरानी।

इजराइल-लेबनान युद्ध विराम और यूएनएससी संकल्प 1701:

चर्चा में क्यों ? इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल द्वारा 13 महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद इजराइल और लेबनान ने युद्ध विराम कर लिया।

यह प्रस्ताव संकल्प 1701 का अनुसरण करता है और 60 दिनों के भीतर शत्रुता समाप्त करने का आह्वान करता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1701 के बारे में:

- इसे 11 अगस्त, **2006 को इजराइल-लेबनान संघर्ष (जिसे 2006** लेबनान युद्ध के रूप में भी जाना जाता है) के दौरान अपनाया गया था।

- **संकल्प का उद्देश्य इजराइल** और हिजबुल्लाह के बीच शत्रुता समाप्त करना और क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए कदमों की रूपरेखा तैयार करना था।

संकल्प 1701 के मुख्य प्रावधान:

तत्काल युद्ध विराम:

- इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शत्रुता को पूरी तरह समाप्त करने का आह्वान किया गया।
- मांग की गई कि हिजबुल्लाह सभी हमले बंद कर दे और इजराइल लेबनान में सभी सैन्य अभियान समाप्त कर दे।

लेबनानी और संयुक्त राष्ट्र बलों की तैनाती:

- इज़राइल द्वारा अपने सैनिकों को वापस बुलाए जाने के बाद **लेबनानी सशस्त्र बलों (LAF**) को दक्षिणी लेबनान में तैनात करने की आवश्यकता थी।
- शांति और सुरक्षा बनाए रखने में **LAF की सहायता करने के लिए लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) के जनादेश को मज़बूत किया।**

बफ़र ज़ोन:

- **ब्लू लाइन (इज़राइल-लेबनान सीमा**) और **लिटानी नदी** के बीच सशस्त्र कर्मियों, हथियारों और संपत्तियों से मुक्त एक बफ़र ज़ोन की स्थापना की।
- **हिज़्बुल्लाह** को इस क्षेत्र में काम करने से प्रतिबंधित किया।

हथियार प्रतिबंध:

- हिज़्बुल्लाह की हथियार आपूर्ति को लक्षित करते हुए, लेबनान में गैर-राज्य अभिनेताओं को हथियारों की आपूर्ति को रोकने के लिए सभी राज्यों से आह्वान किया।

लेबनान की संप्रभुता:

- **लेबनान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता** और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए समर्थन की पुष्टि की।
- इस बात पर ज़ोर दिया कि लेबनान में उसकी सरकार की सहमति के बिना कोई विदेशी सेना नहीं होनी चाहिए।

कैदियों की अदला-बदली:

- **हिजबुल्लाह द्वारा पकड़े गए इजरायली** सैनिकों और **इजरायली हिरासत** में लेबनानी कैदियों के मुद्दे को हल करने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया गया, हालांकि इसमें स्पष्ट रूप से अदला-बदली का आदेश नहीं दिया गया।

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की व्याख्या:

चर्चा में क्यों?हाल ही में संभल की एक जिला अदालत ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर **शाही जामा मस्जिद** का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया, जिसके कारण हिंसा भड़की थी।

अदालत का यह आदेश एक याचिका पर आया, जिसमें दावा किया गया था कि संभल की जामा मस्जिद एक हिंदू मंदिर के स्थल पर बनाई गई थी। यह **वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह और मध्य प्रदेश के धार में कमाल-मौला मस्जिद** के मामलों में किए गए दावों के समान है।

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के बारे में:

- पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए अधिनियमित किया गया था, जैसा कि **15 अगस्त 1947** को था, और ऐसे स्थानों के बारे में नए विवादों को रोकने के लिए।
- इस अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की यथास्थिति का सम्मान करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करके सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखना है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान:

धारा 3:

- 15 अगस्त 1947 को किसी भी पूजा स्थल को एक धार्मिक चरित्र से दूसरे में बदलने पर रोक लगाता है।

धारा 4:

- 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थलों की स्थिति की पुष्टि करता है।
- राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को इसके दायरे से बाहर रखता है।

धारा 5:

- प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों या पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों को बाहर रखता है।

दंड प्रावधान:

- अधिनियम का उल्लंघन करने पर कारावास और जुर्माने सहित दंड लगाता है।

अधिनियम के उद्देश्य:

- पूजा स्थलों के संबंध में धार्मिक विवादों को रोकना।
- ऐतिहासिक धार्मिक पहचानों का सम्मान करके भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को संरक्षित करना।
- सार्वजनिक व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना।

हाल के मामले और न्यायिक व्याख्याएँ:

1. **ज्ञानवापी मस्जिद मामला (2022-2024):**

- वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जहाँ याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह एक नष्ट हुए हिंदू मंदिर के ऊपर बनाया गया था।

न्यायालय का निर्णय:

- वाराणसी जिला न्यायालय ने परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति दी।
- विरोधियों ने तर्क दिया कि यह मस्जिद के धार्मिक चरित्र को बदलकर 1991 के अधिनियम का उल्लंघन करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:

- यथास्थिति सिद्धांत पर जोर देने के लिए अधिनियम के प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।
- न्यायालय ने सर्वेक्षण के कानूनी अधिकारों (नागरिक विवादों में) और अधिनियम के व्यापक सिद्धांत के बीच संतुलन की मांग की।

2. **काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी विवाद:**

कानूनी रुख: याचिकाकर्ताओं ने ऐतिहासिक विनाश का हवाला देते हुए मूल मंदिर की बहाली की मांग की।

न्यायालय की टिप्पणियाँ:

- न्यायपालिका ने ऐतिहासिक विवादों को फिर से खोलने से बचने के लिए 1991 के अधिनियम के इरादे की पुष्टि की, और वादियों से इसके प्रावधानों का पालन करने का आग्रह किया।

3. **मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला:**

- यह दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया गया था कि शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि पर बनाई गई थी।

न्यायिक व्याख्या:

- अधिनियम के बावजूद जिला न्यायालय ने मुकदमा स्वीकार कर लिया, जिससे इसकी प्रयोज्यता पर बहस छिड़ गई।
- उच्च न्यायालयों ने धार्मिक यथास्थिति बनाए रखने में 1991 के अधिनियम की सर्वोच्चता पर प्रकाश डाला।

अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख:

सुंदरम बनाम भारत संघ (2023) में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:

- अधिनियम धर्मनिरपेक्षता को एक मौलिक संवैधानिक मूल्य के रूप में बनाए रखता है।
- यह ऐतिहासिक गलतियों को वर्तमान विवादों के बहाने के रूप में इस्तेमाल होने से रोकता है।
- अधिनियम के तहत अपवाद, जैसे कि राम जन्मभूमि मामला, इसके बड़े उद्देश्य को कम नहीं करते हैं।

अनुच्छेद 12 के तहत न्यायपालिका एक "राज्य" के रूप में:

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 12 में भाग III** (मौलिक अधिकार) के प्रयोजनों के लिए "राज्य" शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, और भारत के क्षेत्र के भीतर या उसके नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं।

प्रश्न उठता है कि क्या न्यायपालिका को अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" माना जा सकता है।

अनुच्छेद 12 के तहत न्यायपालिका एक "राज्य" के रूप में:

- जब न्यायपालिका अपनी प्रशासनिक क्षमता में कार्य करती है:
- न्यायपालिका को **अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य"** के रूप में माना जाता है जब वह प्रशासनिक कार्य करती है।

उदाहरण: कर्मचारियों की भर्ती, संसाधनों का आवंटन, या प्रशासनिक आदेश जारी करना इस श्रेणी में आते हैं।

जब न्यायपालिका अपनी न्यायिक क्षमता में कार्य करती है:

- न्यायपालिका, अपने न्यायिक कार्यों को निष्पादित करते समय, आमतौर पर "**राज्य**" नहीं मानी जाती है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यायिक कार्य, जैसे कि निर्णय सुनाना, स्वतंत्र होते हैं और न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं होते हैं।

केस लॉ:

नरेश श्रीधर मिराजकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (1966)

- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि न्यायालयों द्वारा लिए गए न्यायिक निर्णयों को **अनुच्छेद 32** के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती।

महत्व:

- इसने स्थापित किया कि न्यायपालिका, अपने न्यायिक कार्यों का निष्पादन करते समय, अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" नहीं है।

ए.आर. अंतुले बनाम आर.एस. नायक (1988):

- सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि न्यायिक आदेश अनजाने में मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन कहा कि उन्हें "**राज्य" की कार्रवाई के रूप में चुनौती नहीं** दी जा सकती।

महत्व:

- इस विचार को पुष्ट किया कि न्यायिक निर्णय **भाग III** के तहत "राज्य" की कार्रवाई के रूप में चुनौती से मुक्त हैं।

रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (2002):

- न्यायिक अंतिमता के सिद्धांत पर जोर दिया गया, जिसमें कहा गया कि न्यायपालिका को उसकी न्यायिक भूमिका में अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए "राज्य" के बराबर नहीं माना जा सकता।

महत्व:

- इसने प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के बीच अंतर की पुष्टि की।

प्रेम चंद गर्ग बनाम आबकारी आयुक्त (1963)

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अदालतें नियम जारी करती हैं या प्रशासनिक कार्रवाई करती हैं, तो उन्हें संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का पालन करना चाहिए।

महत्व:

- यह प्रदर्शित किया कि न्यायपालिका प्रशासनिक रूप से कार्य करते समय भाग III के अधीन हो सकती है।

श्री कुमार पद्म प्रसाद बनाम भारत संघ (1992):

- ऐसे मामलों में जहां न्यायपालिका प्रशासनिक भूमिकाएं निभाती है, जैसे नियुक्तियां या प्रशासनिक आदेश, वह "राज्य" के रूप में जवाबदेह है।

महत्व:

- **अनुच्छेद 12** के तहत न्यायपालिका के प्रशासनिक-क्षेत्राधिकार द्वंद्व को मजबूत किया गया।

मुख्य बातें:

- न्यायपालिका को **अनुच्छेद 12** के तहत केवल तभी "राज्य" माना जाता है जब वह प्रशासनिक या गैर-न्यायिक कार्य करती है।
- न्यायिक घोषणाएँ या निर्णय, भले ही वे मौलिक अधिकारों का **उल्लंघन करते प्रतीत हों, "राज्य"** की कार्रवाई होने की जाँच के अधीन नहीं हैं।

1964 हेग कन्वेंशन ऑन सिविल प्रोसीजर और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (एमएलएटी)

चर्चा में क्यों?अमेरिका में प्रतिभूति और विनिमय आयोग के पास गौतम अडानी जैसे विदेशी नागरिकों को बुलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, उन्हें उचित माध्यमों से जाना चाहिए।

1964 हेग कन्वेंशन ऑन सिविल प्रोसीजर और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (एमएलएटी) ऐसे मामलों से निपटते हैं।

1964 हेग कन्वेंशन ऑन सिविल प्रोसीजर क्या है?

1964 हेग कन्वेंशन ऑन सिविल प्रोसीजर (औपचारिक रूप से 1 मार्च 1954 को हेग कन्वेंशन ऑन सिविल प्रोसीजर के रूप में जाना जाता है) एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य नागरिक और वाणिज्यिक कानून के मामलों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसे सीमा पार कानूनी कार्यवाही में चुनौतियों का समाधान करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नागरिक न्याय प्रणालियों के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

मुख्य उद्देश्य:

सीमा पार कानूनी कार्यवाही को सुविधाजनक बनाना: न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों की सेवा करने और विदेश में साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है।

न्यायिक सहयोग: प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए सदस्य देशों की कानूनी प्रणालियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।

अधिकारों का संरक्षण: यह सुनिश्चित करता है कि सीमा पार कानूनी मामलों में पक्षकारों को बिना किसी भेदभाव के न्याय तक पहुँच प्राप्त हो।

मुख्य प्रावधान:

न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों का प्रसारण:

- देशों के बीच कानूनी दस्तावेजों को प्रसारित करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।
- ऐसे अनुरोधों को संभालने के लिए प्रत्येक सदस्य राज्य में केंद्रीय प्राधिकरण स्थापित करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि दस्तावेज़ गंतव्य देश के कानूनों के अनुसार प्रस्तुत किए जाएँ।

विदेश में साक्ष्य ले जाना:

- कानूनी कार्यवाही में उपयोग के लिए दूसरे देश से साक्ष्य प्राप्त करना सुगम बनाता है।
- देशों के बीच लेटर रोगेटरी (न्यायिक सहायता के लिए औपचारिक अनुरोध) की अनुमति देता है।

कानूनी सहायता और पहुँच:

- नागरिक या वाणिज्यिक विवादों में विदेशी नागरिकों के लिए कानूनी सहायता तक पहुँच को बढ़ावा देता है।
- राष्ट्रीयता के आधार पर कानूनी सहायता प्रदान करने में भेदभाव को रोकता है।

कानूनीकरण आवश्यकताओं का उन्मूलन:

- सदस्य राज्यों के बीच नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में उपयोग के लिए दस्तावेजों (जैसे, एपोस्टिल) के वैधीकरण की आवश्यकता को समाप्त करता है।

प्रक्रियात्मक अधिकारों का संरक्षण:

- नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में विदेशी वादियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करता है।

भारत और हेग कन्वेंशन:

- भारत सिविल या वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों की विदेश में सेवा पर हेग कन्वेंशन (1965) का पक्षकार है, लेकिन **सिविल प्रक्रिया पर 1964 के हेग कन्वेंशन** का पक्षकार नहीं है।
- हालाँकि, संबंधित सम्मेलनों में भारत की भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) के बारे में:

पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) **दो या दो से अधिक देशों के बीच कानूनी मामलों** में सहयोग करने के लिए एक औपचारिक समझौता है, विशेष रूप से अपराधों की जांच और अभियोजन में।

एमएलएटी को **सीमा पार आपराधिक जांच के लिए आवश्यक साक्ष्य, कानूनी दस्तावेजों** और अन्य सहायता को साझा करने की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है।

भारत में न्यायिक सुधार: चुनौतियाँ और आगे की राह

ठीक एक साल पहले, सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग (CRP) ने 'स्टेट ऑफ द ज्यूडिशियरी' नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना के सुझावों को जगह मिली है।

लेख में किन चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है?

- न्यायिक प्रणाली में प्रशासनिक अड़चनें।
- अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले - **45 मिलियन से अधिक दीवानी** और आपराधिक मामले लंबित हैं
- आपराधिक न्यायालयों में न्यायिक अधिकारी का **55 प्रतिशत दिन नियमित प्रशासनिक** कार्यों जैसे कि समन जारी करना और तारीखें तय करना, पर खर्च होता है, न कि मूल न्यायिक कार्य।

❖ **केस प्रबंधन की समस्याएँ** - केस-फ्लो प्रबंधन की खराब व्यवस्था

❖ संरचनात्मक मुद्दे - सीमित संसाधन और बुनियादी ढाँचा

❖ न्यायाधीशों पर प्रशासनिक बोझ

- न्यायालय रजिस्ट्री में योग्य लोगों की कमी।
- देश भर में गैर-न्यायिक कर्मचारियों की **27 प्रतिशत कमी** है। **बिहार, राजस्थान और तेलंगाना** जैसे कुछ राज्यों में यह कमी 50 प्रतिशत के करीब है।

आवश्यक सुधार:

❖ न्यायाधीशों के लिए प्रदर्शन मीट्रिक और प्रदर्शन करने वालों के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण (अनुसंधान और योजना के लिए एससी केंद्र)

❖ अधीनस्थ न्यायालयों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए पर्यवेक्षी अधिकारियों (उच्च न्यायालयों) को सशक्त बनाना

❖ प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना - वीसी सुविधा - समन आदि

❖ न्यायपालिका के बाहर से विशेषज्ञों को शामिल करना

- प्रशासनिक जिम्मेदारियों से छुटकारा

- केस निपटान की खुली समीक्षा

खुली समीक्षा क्या है?

खुली समीक्षा में निचली अदालतों द्वारा मामलों का प्रबंधन और निपटान कैसे किया जा रहा है, इसकी पारदर्शी और व्यवस्थित जांच शामिल है।

इसमें शामिल हो सकते हैं:

न्यायाधीशों और न्यायालय कर्मचारियों का प्रदर्शन ऑडिट।

लंबित मामलों और देरी के कारणों की निगरानी करना।

केस प्रबंधन में प्रक्रियागत बाधाओं या अक्षमताओं की पहचान करना।

विभिन्न प्रकार के मामलों के लिए जवाबदेही और निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करना।

केस स्टडी: 1990 के दशक की मोतियाबिंद अंधापन परियोजना/

उठाए गए कदम:

- ई-फाइलिंग
- डिजिटलीकरण
- आधी जिला अदालतें
- दिल्ली उच्च न्यायालय की जीरो पेंडेंसी कोर्ट परियोजना

भारत के विचाराधीन कैदी: बीएनएसएस की धारा 479

चर्चा में क्यों? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा है कि जिन विचाराधीन कैदियों ने अपने ऊपर लगे अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का एक तिहाई से अधिक समय जेल में बिताया है, उन्हें संविधान दिवस (26 नवंबर) से पहले रिहा कर दिया जाना चाहिए।

बीएनएसएस की धारा 479 क्या कहती है?

- **बीएनएसएस की धारा 479** "विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि" निर्धारित करती है।
- इसमें कहा गया है कि अगर कोई कैदी मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों का आरोपी नहीं है, तो उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा, अगर उसने "उस कानून के तहत उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की अवधि तक हिरासत में रखा है"।
- यही मानक **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973** (सीआरपीसी) की पहले से **लागू धारा 436ए** के तहत प्रदान किया गया था।

- लेकिन बीएनएसएस ने "पहली बार अपराध करने वालों" से संबंधित मामलों में मानक को और भी शिथिल कर दिया है - ऐसे आरोपी व्यक्तियों को अधिकतम संभावित सजा का एक तिहाई जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा करने की आवश्यकता है।
- इसमें कहा गया है, "बशर्ते कि जहां ऐसा व्यक्ति पहली बार अपराधी हो (जिसे पहले कभी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो) उसे न्यायालय द्वारा **बांड पर रिहा किया जाएगा**, यदि वह उस कानून के तहत ऐसे अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के **एक तिहाई तक की अवधि के लिए हिरासत में रहा हो**"।
- हालांकि, प्रावधान स्पष्ट करता है कि यदि एक से अधिक अपराधों या एक ही व्यक्ति से संबंधित "कई मामलों" में जांच या परीक्षण लंबित हैं तो अभियुक्त को **"न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा"।**

शीर्ष अदालत की व्याख्या:

- अगस्त में, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और संदीप मेहता की पीठ ने **1382 जेलों में अमानवीय परिस्थितियों** के मामले में विचाराधीन कैदियों के सामने आने वाले मुद्दों पर सुनवाई की।
- यह मामला एक जनहित याचिका के रूप में शुरू हुआ था, जब भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश **आर सी लाहोटी** ने अदालत को एक पत्र भेजा था, जिसमें जेलों में **भीड़भाड़, कैदियों की अप्राकृतिक मौतें** और प्रशिक्षित जेल कर्मचारियों की अपर्याप्तता जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया था।
- 2013 से, अदालत इस मामले में जेलों से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई कर रही है।
- **बीएनएसएस की धारा 479** को "जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता है और यह जेलों में भीड़भाड़ को दूर करने में मदद करेगी"।
- यह देखते हुए कि **नया प्रावधान "अधिक लाभकारी" था, न्यायालय ने 23** अगस्त को आदेश दिया कि धारा **479 उन** मामलों पर **"पूर्वव्यापी" रूप** से लागू होगी जो पहली बार अपराध करने वालों के खिलाफ़ दर्ज किए गए थे, यहाँ तक कि **1 जुलाई, 2024 को BNSS** के लागू होने से पहले भी।
- **धारा 479 पहले से ही जेल अधीक्षक** पर यह दायित्व डालती है कि वह इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को ज़मानत पर रिहा करने के लिए न्यायालय को आवेदन भेजे, जब प्रासंगिक समय अवधि - अधिकतम सज़ा का आधा या एक तिहाई - बीत जाए।
- 19 नवंबर को, SC ने एक बार फिर सभी जेल अधीक्षकों को सभी विचाराधीन कैदियों, विशेषकर महिलाओं की पहचान करने का आदेश दिया, जो **BNSS की धारा 479** के तहत ज़मानत के हकदार होंगे, ताकि न्यायालय इन मामलों में ज़मानत देने पर विचार कर सकें।

भारत के विचाराधीन कैदी:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2022 (दिसंबर 2023 में प्रकाशित) के अनुसार, भारतीय जेलों में बंद **5,73,220 लोगों में से 4,34,302 विचाराधीन** कैदी हैं, जिनके खिलाफ़ मामले अभी भी लंबित हैं।
- यह भारत के सभी कैदियों का लगभग **75.8%** है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि जेलों में बंद 23,772 महिलाओं में से **18,146 (76.33%)** विचाराधीन कैदी हैं।
- रिपोर्ट में यह दर्ज नहीं किया गया है कि कितने विचाराधीन कैदी पहली बार अपराधी हैं। 31 दिसंबर, 2022 तक, सभी विचाराधीन कैदियों में से लगभग **8.6% तीन साल से अधिक समय से जेल में थे**।

शस्त्र अधिनियम के क्रियान्वयन में ढुलमुल रवैया': सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बंदूकों के खतरे को रोकने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में समिति गठित की।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक समिति गठित की है, क्योंकि उसने पाया कि बिना लाइसेंस के हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और कार्यशालाओं का प्रसार, जो विनियामक ढांचे से बाहर हैं, समाज के साथ-साथ राज्य के खिलाफ भी अपराध का कारण बन रहा है। इसने यह भी पाया कि शस्त्र अधिनियम के क्रियान्वयन में "ढुलमुल रवैया" है।

- भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हथियारों और गोला-बारूद के कब्जे और उपयोग को विनियमित करने के लिए बनाया गया एक कानून था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय आबादी को निरस्त्र करना और औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा हथियारों पर नियंत्रण सुनिश्चित करना था।

भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1878 की मुख्य विशेषताएं:

लाइसेंसिंग आवश्यकता:

- व्यक्तियों को आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद को रखने, ले जाने या उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था।
- वैध लाइसेंस के बिना, हथियारों का स्वामित्व या हस्तांतरण निषिद्ध था।

प्रतिबंधित श्रेणियाँ:

- कुछ हथियार और गोला-बारूद को निषिद्ध श्रेणी में रखा गया था और उन्हें लाइसेंस के साथ भी नहीं रखा जा सकता था।
- बिना अनुमति के आग्नेयास्त्रों का निर्माण, बिक्री या मरम्मत करना भी प्रतिबंधित था।

यूरोपीय लोगों के लिए छूट:

- इस अधिनियम ने भारत में रहने वाले यूरोपीय लोगों के लिए छूट प्रदान की, जो नस्लीय भेदभाव को दर्शाता है। भारतीयों को कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जबकि यूरोपीय लोग अक्सर स्वतंत्र रूप से हथियार रखते थे।

दंडात्मक उपाय:

- अधिनियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना, कारावास या हथियार और गोला-बारूद जब्त किया जा सकता था।

उद्देश्य:

यह कानून संभावित विद्रोहों को दबाने और भारतीयों को उन हथियारों तक पहुँच से रोकने के लिए बनाया गया था जिनका इस्तेमाल ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के खिलाफ किया जा सकता था।

शस्त्र अधिनियम, 1959:

- शस्त्र अधिनियम, 1959 ने औपनिवेशिक भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1878 को प्रतिस्थापित किया, और स्वतंत्र भारत में हथियारों और गोला-बारूद के अधिग्रहण, कब्जे, निर्माण, बिक्री, परिवहन, आयात और निर्यात को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और आग्नेयास्त्रों के दुरुपयोग को रोकना है, जबकि सख्त नियमों के तहत आत्मरक्षा, खेल या अन्य उद्देश्यों के लिए वैध उपयोग की अनुमति देना है।

आर्म्स (संशोधन) अधिनियम, 2019:

- आर्म्स (संशोधन) अधिनियम, 2019 भारत में हथियारों और गोला-बारूद पर विनियमों को मजबूत करने, बेहतर सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और आग्नेयास्त्रों के दुरुपयोग को रोकने के लिए पेश किया गया था। इसने समकालीन सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने और आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस और उपयोग को कारगर बनाने के लिए आर्म्स अधिनियम, 1959 के प्रमुख प्रावधानों में संशोधन किया।

आर्म्स (संशोधन) अधिनियम, 2019 की मुख्य विशेषताएं:

आर्म्स की संख्या पर प्रतिबंध:

- पहले, एक व्यक्ति अधिकतम तीन आग्नेयास्त्र रख सकता था।
- संशोधन ने इस सीमा को घटाकर दो आग्नेयास्त्र कर दिया।

- दो से अधिक आग्नेयास्त्र रखने वाले मालिकों को अतिरिक्त आग्नेयास्त्र अधिकारियों के पास जमा कराने होंगे।

बढ़ी हुई सज़ाएँ:
अवैध कब्ज़ा: बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्र रखने की सज़ा को बढ़ाकर न्यूनतम 7 वर्ष (आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है) कर दिया गया है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।
निषिद्ध हथियारों का उपयोग: सार्वजनिक सभा या अन्य अवैध गतिविधियों में निषिद्ध हथियारों का उपयोग करने पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी हो सकता है, यदि इससे मृत्यु हो जाती है।
निर्माण और तस्करी के लिए कठोर दंड:

- निषिद्ध हथियारों का अनधिकृत निर्माण, तस्करी या सौदा करने पर अब **न्यूनतम 7 वर्ष** की सज़ा होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

बढ़ी हुई लाइसेंसिंग विनियमन:

- संशोधन ने लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण के लिए सख्त जाँच और सत्यापन की शुरुआत की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हथियार गलत हाथों में न पड़ें।
- लाइसेंस का नवीनीकरण हर **पाँच साल** में किया जाना चाहिए।

कुछ आग्नेयास्त्रों पर प्रतिबंध:

- स्वचालित मोड में फायर करने के लिए संशोधित किए जा सकने वाले आग्नेयास्त्रों का उपयोग या कब्जा सख्त वर्जित था।

खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रावधान:

- पेशेवर निशानेबाज अधिकतम 12 आग्नेयास्त्र रख सकते हैं, जिनमें प्रशिक्षण या प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आवश्यक आग्नेयास्त्र भी शामिल हैं।
- यह प्रावधान सार्वजनिक सुरक्षा से समझौता किए बिना एथलीटों का समर्थन करने के लिए पेश किया गया था।

ट्रैकिंग और विनियमन:

- अवैध व्यापार और दुरुपयोग को रोकने के लिए आग्नेयास्त्रों के उत्पादन से लेकर बिक्री और उपयोग तक की ट्रैकिंग के लिए एक नई प्रणाली शुरू की गई थी।

उत्सव में गोलीबारी पर सख्त नियम:

- शादी जैसे उत्सव के आयोजनों में गोली चलाना, जिससे चोट या मृत्यु होती है, अब 2 साल तक की कैद या ₹1 लाख तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

अनुच्छेद 14 का इस्तेमाल किसी के खिलाफ अवैधता को कायम रखने के लिए नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि संविधान के **अनुच्छेद 14 का इस्तेमाल अवैधता** को कायम रखने के लिए नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि कोई व्यक्ति किसी अन्य को दिए गए अवैध लाभ के आधार पर समान व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। यह आदेश हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका पर पारित किया।

याचिका क्या थी?

- याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसके पिता की मृत्यु 1997 में हुई थी, जब वह सात साल का था।
- उसने वयस्क होने के बाद 2008 में **अनुकंपा नियुक्ति** के लिए आवेदन किया था। हालांकि, हरियाणा सरकार ने 1999 की नीति का हवाला देते हुए दावे को खारिज कर दिया, जिसमें किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद तीन साल की सीमा तय की गई थी।
- उन्होंने तर्क दिया कि कई समान स्थिति वाले व्यक्तियों को उनके आवेदन की समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी

कोर्ट ने क्या कहा?

- पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि यदि कोई गलत लाभ दिया गया है या योजना के विपरीत कोई लाभ दिया गया है, तो वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देकर दूसरों को समानता के अधिकार के रूप में दावा करने का अधिकार नहीं देता है।

- न्यायालय ने तर्क दिया कि **अनुच्छेद 14** में निहित समानता का विचार कानून पर आधारित सकारात्मकता में लिपटा हुआ एक विचार है। कानून की पवित्रता वाले दावे को लागू करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
- देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कोई अधिकार या दावा देने वाला **अवैध आदेश** पारित करना, उसे न्यायालय के समक्ष समान दावा पेश करने का अधिकार नहीं देता है। इसके अलावा, न्यायालय ऐसी दलील को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, पीठ ने कहा, यह एक ऐसा प्राधिकारी नहीं है जो उस अवैधता को बार-बार दोहराए।
- यदि ऐसे दावों पर विचार किया गया और निर्देश जारी किए गए, तो यह न केवल न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा, बल्कि इसके लोकाचार को भी नकार देगा, जिसके परिणामस्वरूप कानून अराजकता और अराजकता में परिणत होगा।
- सर्वोच्च न्यायालय न तो कानून की अनदेखी कर सकता है, न ही उसे अनदेखा करके कोई अधिकार या दावा प्रदान कर सकता है, जिसके पास **कानूनी स्वीकृति नहीं** है। समता का विस्तार नहीं किया जा सकता। बिना किसी कानूनी आधार या औचित्य के लाभ या फायदा प्रदान करना बहुत नकारात्मक है, खंडपीठ ने फैसला सुनाया।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 14: समानता का अधिकार:
अनुच्छेद 14 भारत के क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।
यह निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करते हुए भारतीय कानूनी प्रणाली की आधारशिला है।

अनुच्छेद 14 के प्रमुख घटक:
कानून के समक्ष समानता:
अंग्रेजी सामान्य कानून से व्युत्पन्न।
यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति, **चाहे वह किसी भी पद या स्थिति का क्यों न हो**, कानून से ऊपर नहीं है।
कानून की नज़र में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है।
कानूनों का समान संरक्षण:
अमेरिकी संविधान से उधार लिया गया।
यह अनिवार्य करता है कि समान परिस्थितियों में **व्यक्तियों** के साथ समान व्यवहार किया जाए।
राज्य विभेदक उपचार के लिए उचित वर्गीकरण कर सकता है, लेकिन यह गैर-मनमाना और न्यायसंगत होना चाहिए।

महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्याएँ:

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952):

- सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रियात्मक कानूनों में मनमाने वर्गीकरण को खारिज कर दिया, तथा निष्पक्षता पर जोर दिया।

मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978):

- अनुच्छेद 14 की व्याख्या मूल कानून और प्रक्रियात्मक कानून दोनों में समानता सुनिश्चित करने के रूप में की गई।
- अनुच्छेद 19 और 21 के साथ जोड़कर, इसके दायरे को व्यापक बनाया गया।

ई.पी. रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1974):

- अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में मनमानी की अवधारणा को पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि राज्य को निष्पक्ष और गैर-मनमाने तरीके से कार्य करना चाहिए।
- **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992):**

वैवाहिक विवाद नैतिक क्षुद्रता नहीं है; इसका इस्तेमाल पति-पत्नी के शिक्षा के अधिकार को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

क्या है मामला?

- याचिकाकर्ता, जो एक चिकित्सा अधिकारी है, ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (**AIAPGET) 2024** में भाग **लेने के लिए NOC** के लिए आवेदन किया था। शुरुआत में, स्वास्थ्य सेवाओं के उप निदेशक ने उनकी पात्रता को मान्यता देते हुए NOC प्रदान की। हालाँकि, स्वास्थ्य विभाग ने **19 जुलाई, 2023 के सरकारी संकल्प (G.R.) के खंड 4.5 का हवाला** देते हुए उनके खिलाफ एक सक्रिय आपराधिक मामला पाए जाने के बाद सितंबर 2024 में इस **अनुमोदन को रद्द कर** दिया। यह खंड आपराधिक मामलों वाले सरकारी कर्मचारियों को आगे की शिक्षा प्राप्त करने से अयोग्य ठहराता है।
- याचिकाकर्ता के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा दायर आपराधिक मामले में **भारतीय दंड संहिता की धारा 498A (क्रूरता) और 494 (द्विविवाह)** के साथ-साथ **एससी/एसटी अत्याचार** निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप शामिल थे। अधिवक्ता जी.जे. याचिकाकर्ता कर्णे ने तर्क दिया कि **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21** के तहत जीवन के अधिकार से प्राप्त उनके शैक्षिक अधिकारों को उनके **पेशेवर आचरण या नैतिक स्थिति** से असंबंधित व्यक्तिगत विवाद के कारण बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्य कानूनी मुद्दे:

- प्राथमिक कानूनी मुद्दा यह था कि क्या **सरकारी संकल्प का खंड 4.5, लंबित आपराधिक मामलों** वाले व्यक्तियों को उच्च अध्ययन करने से रोकता है, इस मामले में लागू था। याचिकाकर्ता ने **तर्क दिया कि खंड को अनुचित तरीके** से लागू किया जा रहा है, क्योंकि उनका **आपराधिक मामला खराब नैतिक चरित्र** को दर्शाने वाली कार्रवाई के **बजाय व्यक्तिगत, वैवाहिक विवाद** से उपजा है।
- याचिकाकर्ता के तर्कों का विरोध करते हुए, **राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ए.एम. फुले** ने तर्क दिया कि एनओसी अनुचित तरीके से प्राप्त की गई थी, क्योंकि याचिकाकर्ता ने लंबित मामले का खुलासा नहीं किया था। फुले ने **केदार पवार बनाम महाराष्ट्र** राज्य के एक पिछले मामले का हवाला दिया, जिसमें अदालत ने एनओसी वापस लेने की अनुमति दी थी, जब व्यक्तियों ने प्रासंगिक जानकारी रोक रखी थी।

न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय:

- "शिक्षा का **अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21** से प्राप्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है... इस अधिकार को केवल कर्मचारी के विरुद्ध किसी विभागीय कार्यवाही या आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के कारण अस्वीकार या छीना नहीं जा सकता।"
- न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता के **विरुद्ध व्यक्तिगत, वैवाहिक विवाद** से उत्पन्न आपराधिक मामला "नैतिक अधमता" नहीं है।
- न्यायालय के विचार में, ऐसे मामलों को किसी **व्यक्ति को शिक्षा या कैरियर में उन्नति** करने से नहीं रोकना चाहिए।
- निर्णय में कैलास पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य में एक समान मिसाल का संदर्भ दिया गया, जहाँ इस बात पर जोर दिया गया था कि मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाली सरकारी नीतियों को सावधानी से लागू किया जाना चाहिए, खासकर जब व्यक्तिगत मामले शामिल हों।

नैतिक क्षुद्रता" या "Moral Turpitude क्या है ?

- नैतिक क्षुद्रता" या "**Moral Turpitude**" एक ऐसा कानूनी और नैतिक अवधारणा है जो उन कार्यों का वर्णन करती है जो समाज के नैतिक मानकों के खिलाफ होते हैं। इसमें वे अपराध शामिल होते हैं जो किसी व्यक्ति के नैतिक चरित्र पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं और उन्हें समाज द्वारा निंदनीय या अमान्य माना जाता है।

मुख्य विशेषताएँ:

अवैधता और अनैतिकता: नैतिक क्षुद्रता में शामिल अपराध सामान्यतः धोखाधड़ी, बेईमानी, हिंसा या अन्य अनैतिक गतिविधियाँ होती हैं जो व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से होती हैं।

कानूनी प्रभाव: कानूनी क्षेत्र में, विशेषकर नियुक्ति, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति और विशेष अधिकारों के मामलों में नैतिक क्षुद्रता का अपराध दोषी व्यक्ति की पात्रता और विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है।

भारतीय दंड संहिता में सन्दर्भ: नैतिक क्षुद्रता से संबंधित प्रावधान IPC के कुछ अनुभागों में उल्लिखित हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि गंभीर और नैतिक रूप से दोषपूर्ण अपराधों के लिए व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जा सके।

धारा 498-ए आईपीसी के बारे में: पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता

धारा 494 आईपीसी के बारे में: पति या पत्नी के जीवनकाल में दोबारा विवाह करना (बहुविवाह):

धारा 494 द्विविवाह के अपराध को संबोधित करती है, जहां एक व्यक्ति अपने पिछले पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करता है और विवाह कानूनी रूप से भंग नहीं हुआ है।

शर्तें:

यह अपराध केवल तभी लागू होता है जब किसी व्यक्ति के पास दूसरी शादी के समय कानूनी रूप से वैध विवाह से जीवित पति या पत्नी हो।

कुछ अपवाद लागू होते हैं, जैसे कि **यदि पिछला पति या पत्नी** बिना किसी सुनवाई के सात साल तक अनुपस्थित रहा हो, तो ऐसी स्थिति में, कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, दूसरी शादी को वैध माना जा सकता है।

सजा: **7 साल** तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता है।

अपराध की प्रकृति: यह एक गैर-संज्ञेय और जमानती अपराध है, जिसका अर्थ है कि पुलिस को गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता होती है, और आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

- धारा 498-ए पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी पर की गई क्रूरता से संबंधित है।

  "क्रूरता" शब्द में शामिल हैं:

- कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकता है या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य (मानसिक या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरा पहुंचा सकता है।
- **महिला या उसके रिश्तेदारों को संपत्ति**, मूल्यवान **सुरक्षा** या दहेज की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से महिला का उत्पीड़न।

सजा: तीन साल तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता है।

अपराध की प्रकृति: यह एक **संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य** अपराध है, जिसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जमानत एक अधिकार नहीं है, और इसे अदालत के बाहर सुलझाया नहीं जा सकता।

प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (AMASR अधिनियम)

चर्चा में क्यों? इस शब्द का इस्तेमाल हाल ही में शम्भल मस्जिद विवाद में किया गया था।

- प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (AMASR अधिनियम) भारत में कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन **स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों** के संरक्षण और सुरक्षा का प्रावधान करता है।

उद्देश्य:

अधिनियम का उद्देश्य है:

- ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक महत्व के स्मारकों और स्थलों तक पहुँच की सुरक्षा और विनियमन करना।
- इन स्थलों की अनधिकृत खुदाई या विनाश को रोकना।
- उनके उचित प्रबंधन और रखरखाव का प्रावधान करना।

मुख्य प्रावधान:

प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल:

- "प्राचीन स्मारकों" को ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक रुचि की संरचनाओं या अवशेषों के रूप में परिभाषित **करता है जो 100 वर्ष से अधिक पुराने** हैं।
- इसमें **मंदिर, मकबरे, शिलालेख, गुफाएँ और चट्टान** काटकर बनाई गई संरचनाएँ शामिल हैं।

राष्ट्रीय महत्व की घोषणा:

- केंद्र सरकार किसी भी स्थल या स्मारक को "राष्ट्रीय महत्व" में से एक घोषित कर सकती है और आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर सकती है।

निषिद्ध क्षेत्र:

- "निषिद्ध क्षेत्र" किसी संरक्षित स्मारक या स्थल के चारों ओर **100 मीटर के क्षेत्र को संदर्भित** करता है जहाँ निर्माण और उत्खनन प्रतिबंधित है।
- **"विनियमित क्षेत्र" निषिद्ध क्षेत्र से 200 मीटर** आगे तक फैला हुआ है, जहाँ शर्तों के तहत सीमित निर्माण की अनुमति दी जा सकती है।

संरक्षण और रखरखाव:

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को घोषित स्मारकों और स्थलों के रखरखाव, संरक्षण और विनियमन का काम सौंपा गया है।
- निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर **उत्खनन या निर्माण सहित अनधिकृत** गतिविधियाँ दंडनीय अपराध हैं।

उत्खनन:

- अधिकृत कर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति संरक्षित स्थलों पर उत्खनन नहीं कर सकता है।
- केंद्र सरकार पुरातात्विक उत्खनन का संचालन या प्राधिकरण कर सकती है।

दंड:

- अधिनियम का उल्लंघन करने पर **जुर्माना या कारावास सहित दंड** हो सकता है, जैसे कि:
- संरक्षित स्मारक को नुकसान पहुँचाना।
- अनधिकृत निर्माण या उत्खनन।
- निर्धारित नियमों का उल्लंघन।

संशोधन और परिवर्धन:

- AMASR (संशोधन और मान्यता) **अधिनियम, 2010:**
- स्मारकों के पास निर्माण के लिए सख्त नियम पेश किए गए।
- निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की देखरेख और विनियमन के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) की स्थापना की गई।

हाल के घटनाक्रम:

- शहरी विकास की जरूरतों के साथ विरासत संरक्षण को संतुलित करने के लिए 100-मीटर और 200-मीटर के नियमों को शिथिल करने पर बहस हुई है।

महत्व:

- भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की रक्षा करता है।
- वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यटन और शिक्षा को सुविधाजनक बनाता है।
- शहरी विकास के साथ विरासत संरक्षण को संतुलित करता है।